अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

श्री प्रदीपकुमार राजपूत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री गंगानगर।

बनाम

मै. स्पेशल बर्फी हाउस, प्रो. विकास पुत्र चिमनलाल दूध विक्रेता वीपीओ 25 डी ब्लॉक, सन्तोषी माता मन्दिर के पास, श्रीगंगानगर

अभियुक्त

अपराध अ0 धारा 26 उपधारा 2(ा)खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

निर्णय **दिनांक : 17.03.2016**

सक्षेंप में प्रकरण के सुसंगत एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रदीपकुमार राजपूत दिनांक 06–06–12 से कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी, श्री गंगानगर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्य सम्पादन कर रहे हैं और उसे राज्य सरकार के आदेश कमांक एच/पीएफए/एफएसएसए/नोटिफिकेशन 2012/568 दिनांक 28–5–12 के द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। शासन की अधिसूचना/2011/496 दिनांक 18–8–11 के अनुसार इनका कार्यक्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री गंगानगर आवंटित किया गया है और जिला श्री गंगानगर के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र कार्यक्षेत्र में बताए गए हैं।

श्री प्रदीप कुमार राजपूत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 10.10.2014 को 11:55 ए.एम. पर वास्ते चैकिंग पहुंचे वहां मै. वर्मा टी स्टॉल, प्रो. विकास पुत्र चिमनलाल दूध विक्रय कर रहा था, जो कि स्टील टैंक में करीबन 25 लीटर के आसपास था, वास्ते बिक्री रखा हुआ था। उसमें मिलावट का शक होने पर उसमें से 2 लीटर गाय का दूध वास्ते नमूना जांच संख्या के–457 चार साफ सूखे एवं खाली बर्तन में 500 एमएल के हिसाब से लिया और खरीद शुदा गाय का दूध की कीमत अखरे रूपये 80/– श्री विकास पुत्र चिमनलाल को गवाहन तिलकराज एवं भगवानदास के सामने देकर रसीद प्राप्त की। विकास पुत्र चिमनलाल को फार्म नं0 5 ए पर नोटिस देकर बता दिया था कि नमूना वास्ते जॉच लिया गया है, जिसको पढ़ समझ कर सही मानकर विकास पुत्र चिमनलाल ने हस्ताक्षर किये। फार्म नं0 5 की एक प्रति विकास पुत्र चिमनलाल को देकर रसीद प्राप्त की गई। खरीद शुदा गाय के दूध को चार साफ सूखी व खाली शिशियों में बराबर बराबर डाल कर लेबल तैयार किये और उन पर खाद्य नमूना सं0 के–457 एवं अन्य विवरण दर्ज कर उन पर स्वंय ने व विक्रेता एवं गवाहान ने हस्ताक्षर किये और इनको प्रत्येक शीशी पर चिपकाया गया। प्रत्येक शीशी को खाकी कागज से लपेट कर प्रत्येक शीशी पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री गंगानगर की हस्ताक्षर शुदा स्लिप के–457 नियमानुसार नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपका कर प्रत्येक शीशी को धागे से बॉध कर चार–चार जगह सील चपड़ी किया और प्रत्येक शीशी पर विकास पुत्र चिमनलाल के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लीप एवं रेपर दोनों पर आवें। इन चारों सील्ड शीशीयों पर नियमानुसार गवाह तिलकराज एवं भगवान दास के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वंय ने किये और इन चारों सील्ड पैकेटों को अपने कब्जे में ले लिया। इस समस्त कार्यवाही की मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की गई। इसके पश्चात् फार्म नं0 6 की सात प्रतियॉ तैयार की गई और प्रत्येक पर सील नमूना अंकित किया गया। जॉच नमूनों की कार्यवाही सम्पूर्ण की गई।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

And

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना सं0 के–457 की एक सील्ड पैकेट को फार्म नं0 6 की एक प्रति के साथ सील बन्द कर जन विश्लेषक, राजस्थान, जयपुर के पास जॉच हेतु भिजवाई, जिसकी प्राप्ति रसीद प्राप्त की गई और फार्म नं. 6 की द्वितीय प्रति, जिसमें सील नमूना अंकित था, अलग से जन विश्लेषक एवं खाद्य विश्लेषक, राजस्थान, जयपुर को भिजवाई, जिसकी प्राप्ति रसीद प्राप्त की गई। खाद्य नमूना के–457 के द्वितीय एवं तृतीय भाग को फार्म नं0 6 की दो प्रतियों के साथ एक आउटर कवर पैकेट में सील बंद कर एवं खाद्य नमूना के चतुर्थ भाग को फार्म नं0 6 की एक प्रति के साथ एक आउटर कवर पैकेट में सील बंद कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी के पास जमा करवा दिया। इसके पश्चात् खाद्य विश्लेषक, राजस्थान, जयपुर की जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/1652/एक्ट/2014/1179 दिनांक 29.10.2014 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना के–457 गाय का दूध सब स्टैण्डर्ड होना पाया गया। इस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री गंगानगर ने पत्र क्रमांक – दिनांक – की पालना में अभियुक्त के विरूद्ध एफ एस एस ए एक्ट 2006 नियम 2011 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 09.11.2015 को प्रस्तुत किया गया।

अभियुक्त को जरिए नोटिस तलब किया गया। दिनांक 21.12.2015 को अभियुक्त की ओर से श्री दिवाकर सोलंकी अधिवक्ता द्वारा वकातलनामा पेश किया गया। दिनांक 15.01.2016 को जवाब के लिए समय चाहा। दिनांक 05.02.2016 को भी जवाब के लिए उसके अधिवक्ता द्वारा समय चाहा गया। दिनांक 15.01.2016, 05.02.2016 एवं 22.02.2016 को अभियुक्त स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। आज अभियुक्त को एवं उसके अधिवक्ता को बार–बार आवाजें लगाई गई, लेकिन न तो अभियुक्त उपस्थित हुआ और न ही उसके अधिवक्ता हाजिर आए। ऐसी अवस्था में राज पैरोकार की बहस सुनी गई।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त विकास पुत्र चिमनलाल से लिया गया गाय के दूध का सैम्पल के–457 जाचं रिपोर्ट क्रमांक एलएस/1652/एक्ट/2014/1179 दिनांक 29.10.2014 द्वारा सब स्टैण्डर्ड (अमानक) होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) के उल्लंधन का अपराध साबित होता है।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया। जांच रिपोर्ट के अवलोकन से पाया गया जॉच के बिन्दु संख्या 01 में वर्णितानुसार Milk solid not fat की न्यूनतम **3.50 %** होनी चाहिए थी, जबकि जांच अनुसार गाय के दूध में 4.6 % पाया गया है, इसी प्रकार बिन्दु संख्या 02 में वर्णितानुसार Milk solid not fat की न्यूनतम **8.50 %** होनी चाहिए थी, जबकि जांच अनुसार गाय के दूध में **7.05%** पाया गया है। इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया गाय के दूध का सैम्पल सबस्टैण्डर्ड (अमानक) पाया गया है।

फलस्वरूप विकास पुत्र चिमनलाल को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 उपधारा 2(II) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त विकास पुत्र चिमनलाल को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 50,000/– (अखरे रूपये पचास हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.03.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/3/16

(कर्ण सिंह गोठवाल)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)